क्या कार्यवाही की है अथवा की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख). सभा पटल पर रखे गए अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या** एल टी 404/77]

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की निर्धारित मात्रा क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.12 प्रतिशत है। संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मामले में कुछ कमी है।

राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1 जुलाई, 1973 को हुई थी। इससे पूर्व बीज संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में कार्य कर रहा था। इसकी स्थापना होने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भर्ती किया गया कर्मचारी वर्ग स्थानांतरित होकर इस निगम में आ गया। इसी प्रकार भारत सरकार का कुछ अधिशेष कर्मचारी वर्ग भी स्थानांतरित होकर इस निगम में आ गया। प्रारंभिक चरणों में विभिन्न संवर्गों के पद अलग अलग सरकारी कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे गए और यथा समय इन कर्मचारियों ने राष्ट्रीय बीज निगम में विलयन की इच्छा प्रकट की। इन कारणों के अलावा, जिनके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी हुई है, यह भी महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम एक तकनीकी संगठन होने के कारण उसे विभिन्न स्तरों पर अपने पद खुले विज्ञापनों द्वारा भरने पड़े हैं क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित योग्यताएं और अनुभव वाले प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में आगे नहीं आ पा रहे थे। कुछ मामलों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को निर्धारित योग्यताओं, आयु सीमा इत्यादि में छूट देकर भी नियुक्त किया गया है। अन्त में, चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अन्य स्थानों पर बेहतर नौकरियां अधिक सरलतापूर्वक मिल जाती है, ऐसे कर्मचारियों ने निगम को छोड़ दिया हैं और परिणामस्वरूप रिक्त हुए थान साधारणतः प्रोन्नति करके भरे गए हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकतर पदों को तत्सम्बन्धी भर्ती के नियमों के अनुसार, प्रोन्नति करके भरा जाना है। इनके लिए कोई आरक्षित कोटा नहीं है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के केवल कनिष्ठ पदों पर प्रोन्नति कोटा विद्यमान है। तथापि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर आरक्षित कोटा के ये पद आरक्षित माने जाएंगे।

(घ) जब भी ऐसे विभिष्ट मामले सरकार की जानकारी में आते हैं तो उन पर जांच गुण दोष के आधार पर तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

चीनी के विकप मूल्य में एक रूपता

1003. **डा० लक्ष्मी नारायण नायक**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में चीनी के दो मूल्य है, अर्थात् एक कंट्रोल का और दूसरा खुले बाजार का;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का देश भर में चीनी के मूल्य में एकरूपता लाने के लिये कोई ठोस उपाय करने का विचार है जिससे कि वह उपभोक्ताओं को एक मूल्य पर उपलब्ध हो सके ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). समूचे देश में लेवी चीनी का समान मूल्य है और दिसम्बर, 1972 से यह मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चल रहा है। खुली बिक्री की चीनी का मूल्य पूर्ति और मांग के आधार पर बढ़ता घटता रहता है।

चीनी फैक्ट्रियों के उत्पादन की 65 प्रतिशत चीनी निर्धारित मूल्य पर ली जाती है जोकि उत्पादन लागत से कम होता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का कुछ अंश निर्धारित तथा उचित दाम पर सप्लाई करना होता है। शेष 35 प्रतिशत उत्पादन को परिस्थितियों के अधीन ऊंचे मूल्यों पर बेचना होता है जिसमें खुले बाजार में पूर्ति और मांग के आधार पर उतार चढ़ाव आता रहता है।

(ग) एक समान मूल्य का अर्थ मौजूदा दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन करना होगा और इसलिये इस मामले पर सावधानी से विचार करना होगा। सरकार इस मामले पर अगली बार चीनी की मूल्य निर्धारण नीति पर विचार करते समय विचार करेगी।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पदों का आरक्षण

1004. श्री मंगल देव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों के लिये पदों का कोई आरक्षण नहीं है जबकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 द्वारा शासित होती हैं। इसके अन्तर्गत निजी प्रबन्ध वाले स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों का आरक्षण नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा इसकी जांच करनी होगी।

Implementation of recommendation of National Commission on Education, 1965

1005. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) what steps, if any, were taken by the erstwhile Central Government and the State Governments to implement the recommendations of the National Commission on Education, 1965, in regard to primary and secondary education;

(b) positive results of the steps taken so far; and

(c) what steps, if any, are being contemplated by the Government to implement the Directive Principles of State Policy on free and compulsory education for all the school going children under the age group 6—14?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a): The major recommendations of the Education Commission in